अनुभाग स्तरीय वनाअधिकार समिति अनुभाग–कोण्डागांव
//बैठक की कार्यवाही विवरण//

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0(भ/स) संभाग कोण्डागांव द्वारा प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग निर्माण जो कि कोण्डागांव, ग्राम पलारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः उक्त मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मन्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रकिया के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री गौतमचंद पाटिल अ0वि0अ0(रा0) कोण्डागांव :– अध्यक्ष
2. श्री मु0का0प0अधि0 जं0प0 कोण्डागांव :– सदस्य
3. श्री एम.एस. नाग उप वनमण्डलाधिकारी कोण्डागांव :– सदस्य
4. श्री अनुराग सिंहा मण्डल संयोजक आदिवासी विकास शाखा :– सदस्य
5. श्री शिवलाल मण्डावी अध्यक्ष जनपद पंचायत कोण्डागांव :– सदस्य
6. श्रीमति अनुसुईया नेताम जनपद पंचायत सदस्य कोण्डागांव :– सदस्य

राजस्व विभाग,वन विभाग एवं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग में ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) के वन भूमि PF 795 में कुल 06 वन अधिकार पट्टाधारियों के कुल 0.484 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित कृषकों द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2019 अनुसार उक्त भूमि को बायपास निर्माण हेतु प्रस्तावित कर अनुशंसा किया गया है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक़र और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् उक्त प्रभावित कृषकों का भू–अर्जन प्रकरण क्रियाधीन है। गैर वन उद्देश्य (बायपास निर्माण) हेतु अंतिम निर्णय के लिये ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को अनुशंसा सहित प्रेषित की जाती है। सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया।

सहपत्र :– ग्राम सभा प्रस्ताव संलग्न।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव	अनुविभागीय अधिकारी वन कोण्डागांव	18-4-22 मु0का0प0 अधिकारी जनपद पंचायत कोण्डागांव
मण्डल संयोजक आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव	अध्यक्ष जनपद पंचायत कोण्डागांव	जनपद सदस्य पंचायत कोण्डागांव

जिला स्तर वन अधिकार समिति जिला कोण्डागांव
//बैठक की कार्यवाही विवरण//

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0(भ/स) संभाग कोण्डागांव द्वारा प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग निर्माण जो कि कोण्डागांव, ग्राम पलारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः उक्त मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मन्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रकिया के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों/अधिकारी उपस्थित रहें :-

1. कलेक्टर जिला कोण्डागांव :- अध्यक्ष
2. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल कोण्डागांव :- सदस्य
3. वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल केशकाल :- सदस्य
4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव :- सदस्य
5. मा.श्री देवचंद मातलाम अध्यक्ष जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य
6. मा.श्रीमति रमिला मरकाम सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य
7. मा.श्री शिवलाल मण्डावी सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य

राजस्व विभाग,वन विभाग एवं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग में ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) के वन भूमि PF 795 में कुल 06 वन अधिकार पट्टाधारियों के कुल 0.484 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित कृषकों द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2019 अनुसार उक्त भूमि को बायपास निर्माण हेतु प्रस्तावित कर अनुशंसा किया गया है। ततसंबंध में दिनांक 12.04.2022 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव द्वारा अनुशंसा किया गया है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् उक्त प्रभावित कृषकों का भू-अर्जन प्रकरण प्रकियाधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों की उपस्थिति में गैर वन उद्देश्य प्रयोजन (बायपास निर्माण) हेतु निर्णय लिया जाता है कि प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारियों कृषकों को भी निजि भूमि हेतु प्राप्त मुआवजा राशि के समतुल्य ही मुआवजा राशि दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया ।

कलेक्टर, जिला कोण्डागांव	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल कोण्डागांव	12/04/22 वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल केशकाल
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव	देवचंद मातलाम अध्यक्ष जिला पंचायत कोण्डागांव	रमिला मरकाम सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव श्रीमती रमिला मरकाम सदस्य जिला पंचायत-कोण्डागांव क्षेत्र क्रमांक-07
शिवलाल मण्डावी सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव		

Scanned with OKEN Scanner